

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 301 /02/सा./कय/प्र0अ0/ लोस्वायांवि0/

भोपाल,दिनांक 15/10/14
संशोधन

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 284/02/कय/प्र.अ./लोस्वायांवि./भोपाल, दिनांक 24.9.14 में "एकीकृत एस.ओ.आर.(वाल्यूम-1) वर्ष 2012 को म.प्र.लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से आगामी आदेश तक लागू किया जाता है।" के स्थान पर "एकीकृत मानक दर अनुसूची(वाल्यूम-1) वर्ष 2012 को अद्यतित संशोधन (with up to date amendment) के साथ दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से प्रभावशील किया जाता है।" पढ़ा जावे।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 80/स्था./राज./प्र.अ./लोस्वायांवि./2013/भोपाल,दिनांक 20.3.13 द्वारा नलकूप खनन से संबंधित कार्यों का एकीकृत एस.ओ.आर. दिनांक 20.3.13 से इस विभाग में प्रभावशील है। अतः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उक्त एकीकृत मानक दर अनुसूची (वाल्यूम-1) वर्ष 2012 का केवल चेप्टर-17 जो नलकूप खनन कार्य से संबंधित है विभाग में प्रभावशील नहीं रहेगा।

(एन.के.सेहरा)

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 9144/02/सा./कय/प्र0अ0/ लोस्वायांवि0/
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 15/10/14

1. अपर सचिव,म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र-भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर एवं वि./यां.भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल..... (म.प्र.)।
4. कार्यपालन यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड..... (म.प्र.)।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

प्रमुख अभियंता